विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-11/14</u>

मेसर्स पीक फूड्स, — आवेदक
ग्राम दोन्दवाड़ा, छैगांव माखन,
जिला – खण्डवा (म.प्र.)
पिन कोड – 451770

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

— अनावेदकगण

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
खण्डवा (म.प्र.) – 450001

आदेश
(दिनांक 08.08.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0265513 मेसर्स पीक फूड्स विरूद्ध मुख्य अभियंता तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. विद्युत उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 14.02.13 को बिजली तथा बारिश के कारण उसके उच्च दाब कनेक्शन की एम.ई. जल गई थी, जिसकी सूचना देने पर अनावेदक की ओर से दिनांक 15.02.13 को उसे डिमाण्ड नोट जारी किया गया और उसके द्वारा रू0 152122/– जमा करने पर एम.ई. बदलकर पुनः विद्युत प्रवाह चालू किया गया था । इसके बाद दिनांक 04.06.13 को पुनः आंधी, गरज के साथ भारी बारिश होने से विद्युत प्रवाह बन्द हो गया था तथा एम.ई. जल गई थी । अनावेदक को इस बात की जानकारी देने पर पुनः

अनावेदक द्वारा डिमाण्ड नोट जारी कर दिनांक 05.06.13 को उपभोक्ता से रू0 124057/– जमा कराए गए थे तथा 11.06.13 से कनेक्शन चालू किया गया था तथा दिनांक 10.06.13 को एच.टी. मीटर कास्ट का डिमाण्ड नोट जारी कर दिनांक 13.06.13 को उससे रू0 10011/– जमा कराए गए थे । उच्चदाब कनेक्शन हेतु एम.ई. एवं एच.टी. मीटर पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का मालिकाना हक होता है, जिसका किराया अनावेदक द्वारा उपभोक्ता से वसूल किया जाता है । एम.ई. एवं एच.टी. मीटर उपभोक्ता के दोष के कारण नहीं जला था, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से जो मूल्य वसूल किया गया था वह गलत है, अतः उपभोक्ता से वसूल किए गए रू0 286190/– को खर्च के साथ वापस दिलाए जाए ।

3. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से दिनांक 14.02.13 को जले हुए एम.ई. के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है तथा दिनांक 04.06.13 को जले हुए एम.ई के बारे में यह बताया गया है कि उक्त एम.ई. उपभोक्ता की गलती के कारण जली थी, अतः एम.ई./मीटर जलने की राशि उपभोक्ता से वसूल की गई है ।

4. फोरम ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के परिशिष्ट – 1 के बिन्दु क्रमांक VI के प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि एम.ई/मीटर यदि उपभोक्ता की गलती के कारण जलता है तो उसका मूल्य उपभोक्ता से वसूल किया जा सकता है । मीटर परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सी.टी. जली हुई पाई गई थी, जो उपभोक्ता के कारण जली थी, अतः उससे जो अवमूल्यित राशि जमा कराई गई है, वह उचित है ।

5. फोरम के उक्त निष्कर्ष के विरूद्ध उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि एम.ई./मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था, यह तथ्य स्थापित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से अवमूल्यित राशि वसूल करने का जो दायित्व निर्धारित किया गया है, वह विधिसंगत नहीं है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** :– क्या एम.ई./मीटर के जलने में उपभोक्ता का दायित्व स्थापित होता है । यदि हॉ तो प्रभाव ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार हैः

7. अभ्यावेदन की सुनवाई दिनांक 02.08.2014 को अनावेदक की ओर से मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट दिनांक 26.07.14 पेश की गई है । उक्त रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत एम.ई. उपभोक्ता की गलती के कारण जली थी, अतः एम.ई. की कास्ट उपभोक्ता से वसूल किया जाना चाहिए । इस रिपोर्ट के खण्डन में उपभोक्ता की ओर से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । मीटर

टेस्टिंग रिपोर्ट मीटर को टेस्ट करने के बाद विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है, अतः उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दिनांक 14.06.13 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की एम.ई. उपभोक्ता की गलती के कारण जली थी, अतः एम.ई. के जलने का दायित्व उपभोक्ता पर स्थापित होता है ।

8. विधिक प्रावधानों के अनुसार जली हुई एम.ई./मीटर की पूर्ण अवमूल्यित राशि ही उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उपभोक्ता से जो राशि वसूल की गई है वह पूर्ण अवमूल्यित राशि थी । तर्क के दौरान अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि उपभोक्ता से जली हुई एम.ई./मीटर की पूर्ण अवमूल्यित राशि ही वसूल किया जाना चाहिए । इस तथ्य के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि दिनांक 04.06.13 को जली हुई एम.ई./मीटर की पूर्ण अवमूल्यित राशि (Full Depreciated Cost) ही उपभोक्ता से वसूल की जानी चाहिए । यदि उपभोक्ता से वसूल की गई राशि पूर्ण अवमूल्यित राशि से अधिक हो तो ऐसी शेष राशि उपभोक्ता को वापस की जाए अथवा आगे आने वाले बिलों में उसका समायोजन किया जा सकता है ।

9. जहां तक दिनांक 14.02.13 को जली हुई एम.ई. के मूल्य का संबंध है उपभोक्ता को उक्त एम.ई. के संबंध में दिनांक 15.02.13 को जमा कराई गई राशि के विरूद्ध कोई आपत्ति दिनांक 04.06.13 के पूर्व नहीं किया था । इस संबंध में अनावेदक की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा फोरम में भी इसके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में यही पाया जाता है कि दिनांक 14.02.13 को जली हुई एम.ई. के संबंध में उपभोक्ता द्वारा 04.06.13 के पूर्व आपत्ति न करने के कारण यही माना जाएगा कि उक्त एम.ई. के संबंध में उपभोक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की थी, अतः 04.06.13 को पुनः एम.ई. जल जाने के बाद उसके द्वारा दिनांक 14.02.13 को जली हुई एम.ई. के संबंध में आपत्ति करने के कारण वह ऐसी एम.ई. के विरूद्ध जमा कराई गई राशि को वापस पाने का अधिकारी नहीं है ।

: निष्कर्ष :

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि दिनांक 04.06.13 को उपभोक्ता की जो एम.ई जली थी, उसके संबंध में उपभोक्ता से दिनांक 05.06.13 को वसूल की गई राशि रू0 124057/– तथा दिनांक 13.06.13 को एच.टी. मीटर कास्ट के रूप में जमा कराई गई राशि रू. 10011/– में से एम.ई. और मीटर की पूर्ण अवमूल्यित राशि ही उपभोक्ता से वसूल की जाए । यदि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि पूर्ण

अवमूल्यित राशि से अधिक हो तो ऐसी अधिक राशि को उसे वापस किया जाए अथवा उपभोक्ता के आगे आने वाले बिलों में उक्त राशि का समायोन किया जावे ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल